राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट - pension.raj.nic.in

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू/आईएफपीएमएस/10/121-V

दिनांक : 03.11.22

अतिरिक्त निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय समस्त
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान

विषय :- ऑनलाईन ई-पेंशन के प्रकरणों में लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ना होने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन ई-पेंशन के प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक के अन्तिम कार्यालय के लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं वेतन स्थिरीकरण की जांच तथा अन्तिम वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है, का प्रमाण पत्र अपलोड करवाया जा रहा था। यह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर पेंशन प्रकरण आक्षेप लगाकर वापिस कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस संबंध में लेख है कि ऑनलाईन ई-पेंशन के प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा सत्यापन के संबंध में एवं वेतन स्थिरीकरण की जांच तथा अन्तिम वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाने संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन कुलक में शामिल कर लिया गया है। अतः ऑनलाईन ई-पेंशन प्रकरणों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो जाने पर लेखाधिकारी/लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र अपलोड की आवश्यकता नहीं है। अतः दिनांक 03.11.2022 से प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

BHARTI RAJ
R.Ac.S.
Additional Director

राजस्थान सरकार
सत्यमेव जयते

Additional Director Pension
& Pensioner's Welfare Department
Zone Office, Udaipur
Office : 0294-2491129
E-mail : adpensionudaipur@gmail.com

915
4/11/22

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ,
उदयपुर संभाग ।

विषयः— ऑनलाईन ई—पेंशन के प्रकरणों में लेखाधिकारी / लेखाकर्मी के प्रमाण—पत्र की अनिवार्यता समाप्त होने के संबंध मे ।

प्रसगः— निदेशक ,पेंशन विभाग, जयपुर का आदेश कमांक:एफ12(26) / कम्प्यू / आईएफपीएमएस / 10 / 121 यू दिनांक 03.11.2022

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में ऑनलाईन ई—पेंशन प्रकरणों में सेवानिवृत अधिकारी / कार्मिक के अंतिम कार्यालय के लेखाधिकारी / लेखाकर्मी के सेवा सत्यापन प्रमाण——पत्र एवं वेतन स्थिरीकरण की जॉच तथा अन्तिम वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है का प्रमाण—पत्र अपलोड करवाया जा रहा था ।

निदेशक पेंशन विभाग जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा आदेशित किया गया है कि ऑनलाईन ई—पेंशन के प्रकरणों मे सेवानिवृत अधिकारी / कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा सत्यापन के संबंध में एक वेतन स्थिरीकरण की जॉच तथा अन्तिन वेतन जिस पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाने संबंधी प्रमाण—पत्र ऑनलाईन कुलक में शामिल कर लिया गया है । **अतः संभाग के समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि पेंशन कार्यालय को भविष्य में प्रेषित किए जाने वाले ई—पेंशन प्रकरणों में कार्यालयध्यक्ष द्वारा अलग से उक्त प्रमाण—पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नही है ।**

भवदीया,

(भारती राज)
अतिरिक्त निदेशक